15

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 14, शुक्रवार, शाके 1933–मई 4, 2012 *Chaitra 14, Friday, Saka 1933–May 4, 2012*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2012

जी.एस.आर 5 :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 29–क के अधीन उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :– (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम,2012 है।

(2) ये दिनांक 20.03.2012 से प्रवृत हुए समझे जायेंगे ।

2.विनियम 22 का संशोधन :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम, 1999 के विनियम सं. 22 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा,अर्थात –

"(2) प्रथम बार में प्रयास यह किया जावेगा कि विधि व्यवसायी की सेवाऐं मानदेय आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये । यदि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था किसी दूसरे विधि व्यवसायी द्वारा सहायता प्रदान किये बिना नहीं हो सकती हों , तो सम्बन्धित समिति /जिला प्राधिकरण विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर सकेगी और अग्रलिखित दर पर फीस का संदाय कर सकेगी :–

(क) तहसीलदार,कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर के

न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि 2000/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/- व्यय प्रति केस।

(ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण 3000/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/- व्यय प्रति केस।

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय 4500/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 500/- व्यय प्रति केस।

(घ) उच्च न्यायालय 5500/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/- व्यय प्रति केस।

(ङ) किसी भी ऐसे केस में लेख बद्द किये जाने वाले कारणों से, अध्यक्ष द्वारा उसे ऐसे स्वरूप/महत्व का माना जाये जिसके लिए विधि व्यवसायी को अधिक फीस का संदाय करने की अपेक्षा हो, तो वह ऐसी अधिक फीस का संदाय कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे

परन्तु विविध और लघु प्रकरणों यथा जमानत प्रार्थनापत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107,125,145,133 के अधीन (रिवीजन) पुनर्विचार याचिकाओं में यथास्थिति उपखण्ड (क) से (घ)में विहित फीस की 1/3 राशि और 500/- व्यय प्रति केस संदत किया जायेगा ।

परन्तु यह भी कि प्रकरणों के प्रत्याहरण में उपखण्ड (क) से (घ)में विहित फीस की 1/2 राशि संदत की जायेगी ।

(3) विनियम 37 का संशोधनः- इन विनियमों के विनियम 37 में विद्यमान अभिव्यक्ति रूपये 150/- के स्थान पर रूपये 500/- प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[संख्या 20722]

आज्ञा से,

के.वी.कट्टा,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JAIPUR

NOTIFICATION

Jaipur, March 20, 2012.

G.S.R 5 :- The Rajasthan State Legal Services Authority. In exercise of the powers conferred on it under section 29-A of the Legal Services Authority Act. 1987 (Act No. 39 of1987) here by makes the following regulations further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Regulations. 1999. namely :-

1. Short title and commencement :- (1) These Regulation may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Regulation. 2012

(2) They shall be deemed to have come in to force with effect from 20-03-2012.

2. Amendment of regulation 22 :- The existing Sub-regulation (2) of regulation 22 of the Rajasthan State Legal Services Authority,1999,herein after referred to as the said regulation. shall be substituted by the following namely :-

" (2) In the first instance endeavour shall be made to arrange services of the Legal Practitioner on honorarium basis. If Such Services cannot be so arranged or cannot be so arranged without providing assistance by another legal practitioner .the concerned Committee/District Authority may appoint a legal practitioner and pay the fee at the following rates. namely:-

(a) Court of Tehsildar. Executive Magistrate. Civil judge (Junior Division) cum Judicial Magistrate. Sub-Divisional Officer. Assistant Collector and other similar court etc. Rs.2000 /-per case and expenses of Rs. 500 /- per case in addition to fee prescribed.

(b) Court of Collector -cum District Magistrate. Additional Collector- cum Additional District Magistrate. Civil Judge (Senior Division) cum Chief Judicial Magistrate and Civil Judge (Senior Division) cum Additional Chief Judicial Magistrate. Revenue Appellate Authority and other similar Tribunals Rs. 3000/- and expenses Rs. 500 /- per case.

(c) Court of District & Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge. Rs. 4500 /- and expenses Rs. 500 /- per case.

(d) High Court Rs. 5500 /- and expenses Rs. 1000 /- per case.

(e) In any case for reasons to be recorded in writing it is considered by the Chairman to be of Such nature/importance requiring payment of higher fees to the Legal practitioner, may pay higher fees as it deems fit."

Provided that in miscellaneous and petty cases like Bail applications and revision petitions of cases under section 107,125,145,133 Cr.P.C. etc. 1/3 amount of fee as specified in clause (a) to (d),as the case may be, and expenses Rs.500/- per case shall be paid.

provided further in the withdrawal cases ½ amount of fee as specified in clause (a) to (d) shall be paid."

3. Amendment of regulation 37- In regulation 37 of said regulations for the existing expression " Rs. 150/- ", the expression " Rs.500/- ", shall be substituted.

[No. 20722]
By order,
K.B. Katta,
Member Secretary,
Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.

Government Central Press, Jaipur.